

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 165/2024
अनवान : –

1. इशाक पुत्र रमजान जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नसरुला पुत्र रमजान जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. यासीन पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर
4. सफी पुत्र रमजान जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है किरोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर जमाबन्दी संम्बत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 81/71 के ख.न. 183 की 0.0120, 184 की 12.8870 कुल 12.8990 हैक्टेयर भूमि में सायल न. 1 का 1/5 हिस्सा सायल न. 2 का 25799/128990 व सायल न0 3 का 2782/64495 हिस्सा तथा सायल न0 5 का 1/5 हिस्सा दर्ज है।

सायलान का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर जमाबन्दी संम्बत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 81/71 के ख.न. 183 की 0.0120, 184 की 12.8870 कुल 12.8990 हैक्टेयर भूमि में सायल न. 1 का 1/5 हिस्सा में ईशाक पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 2 का 25799/128990 हिस्सा में नसरुला पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 3 का 2782/64495 हिस्सा में यासीन पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 4 का 1/5 हिस्सा में सफीमोहम्मद पुत्र ज्यानी दर्ज हो गया है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजो में सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम नसरुला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान सही दर्ज है।

अन्य सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स वोट कार्ड सभी में सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न.2 का नाम नसरुला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान सही दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर जमाबन्दी संम्बत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 81/71 के ख.न. 183 की 0.0120, 184 की 12.8870 कुल 12.8990 हैक्टेयर भूमि में सायल न. 1 का 1/5 हिस्सा में ईशाक पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 2 का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

25799/128990 हिस्सा में नसरूला पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 3 का 2782/64495 हिस्सा में यासीन पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 4 का 1/5 हिस्सा में सफीमोहम्मद पुत्र ज्यानी दर्ज हो गया है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम नसरूला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान सही दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण सायलान के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायलान विवादित भूमि में अपना सही नाम सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम नसरूला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त कर देवे तो अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर जमांबन्दी संम्बत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 81/71 के ख.न. 183 की 0.0120, 184 की 12.8870 कुल 12.8990 हैक्टेयर भूमि में सायल न. 1 का 1/5 हिस्सा में ईशाक पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 2 का 25799/128990 हिस्सा में नसरूला पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 3 का 2782/64495 हिस्सा में यासीन पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 4 का 1/5 हिस्सा में सफीमोहम्मद पुत्र ज्यानी दर्ज हो गया है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम नसरूला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान सही दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण सायलान के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायलान विवादित भूमि में अपना सही नाम सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम नसरूला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण द्वारा सायल न. 1 का 1/5 हिस्सा में ईशाक पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 2 का 25799/128990 हिस्सा में नसरूला पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 3 का 2782/64495 हिस्सा में यासीन पुत्र ज्यानी एवं सायल न. 4 का 1/5 हिस्सा में सफीमोहम्मद पुत्र ज्यानी दर्ज है के स्थान पर सायल न. 1 का नाम इशाक पुत्र रमजान सायल न. 2 का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नसरूला पुत्र रमजान सायल न. 3 का नाम यासीन पुत्र रमजान खां एवं सायल न. 4 का नाम सफी पुत्र रमजान दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के दस्तावेजों के मुताबिक प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक ज्यानी वल्द मोनाबकश के देहान्त के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थीगण की वल्दीयत ज्यानी दर्ज हुई है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबित भूमि पूर्व में ज्यानी के नाम ही दर्ज थी प्रार्थीगण द्वारा ज्यानी के नाम भूमि कैसे दर्ज हुई अर्थात की राजस्व रिकार्ड में ज्यानी नाम दर्ज कैसे हुआ बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जमाबंदी/नामान्तरण के अवलोकन के मुताबिक प्रार्थीगण की वल्दीयत सही दर्ज हुई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर